



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ -SEZ AUTHORITY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
Tel: 022-28294770 / 28294799 Fax: 022-28291754,
E-mail : dcseepz-mah@nic.in, Web-site : www.seepz.gov.org

सं.सीपज़-सेज़/इस्टेट/एटीए/374/2016-17/ 20485

दिनांक: 13.10.2017

सूचना

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 के कर लेखा-परीक्षा हेतु सीए फर्मों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। फर्मों के पास सरकारी संगठनों / सांविधिक निकायों में कर लेखा-परीक्षा करने का अनुभव हो तथा वे सीएजी में पंजीकृत भी हों तथा फर्मों का मुख्य कार्यस्थल मुंबई में हो।

मुहरबंद कोटेशन संपदा प्रबंधक, सीपज़ -सेज़, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096 को दिनांक 20.10.2017 तक अथवा इसके पहले अपराह्न 02.00 बजे तक प्रस्तुत किए जाए। कोटेशन उसी दिन (20.10.2017) अपराह्न 04.00 बजे खोले जाएंगे।

फर्म इस कार्यालय में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

फर्मों द्वारा सभी करों सहित दरें उद्धरित (कोट) की जाएं:-

अनर्हता संबंधी शर्तें:-

1. ऐसे फर्म जो केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम द्वारा काली सूची में डाले गए हों अथवा अन्य प्रकार से विवर्जित किए गए हों, ऐसी काली सूची में डाले जाने की अवधि के दौरान अथवा काली सूची में डाले जाने अथवा विवर्जन की तारीख से 05 वर्षों की अवधि के लिए, इनमें से जो भी बाद में हो, के लिए अपात्र होंगे।
2. ऐसे फर्म जिनकी संविदा अवधि पिछले 05 वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त की गई हो, अपात्र होंगे।
3. फर्म किसी तीसरी पार्टी को उप-ठेका पर कार्य नहीं दे सकता है तथा यदि ऐसा पाया जाता है, तो संविदा स्वयमेव समाप्त हो जाएगी।

(महेश यादव)

संपदा प्रबंधक

सीपज़-सेज़ प्राधिकरण



भारत सरकार / Government of India,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण / SEEPZ-SEZ Authority,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai - 400 096
टेलि / Tel.: 022-28294770 फैक्स / Fax: 28291754,
ई-मेल / E-mail: ddcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

No. SEEPZ-SEZ/ESTATE/ATA/374/2016-17/ 20485

Dated 13/10/2017

NOTICE

Sealed quotation is invited for tax audit for the F.Y. 2016-17 in respect of SEEPZ-SEZ Authority from the CA firms. The firms should have experience for tax auditors in the Govt. Organization/Statutory bodies and also to be registered with CAG. The firm's principal business place should be in Mumbai.

Sealed quotation should be submitted to the Estate Manager, SEEPZ-SEZ Authority, Ministry of Commerce & Industry, SEEPZ-SEZ, Andheri (E), Mumbai-96 on or before 20/10/2017 up to 02:00 p.m. The quotations will be opened on same day (20/10/2017) at 04:00 p.m.

The firm should be responsible to the work carried out by them in this office, in case any objection is detected later on.

The firm should quote rates inclusive of all taxes.

Disqualification Condition:

1. Firms, who has been blacklisted or otherwise debarred by any department of Central or State Govt. or any other Public Sector Undertaking will be ineligible during the period of such blacklisting or a period of 5 years from the date of blacklist or debarment whichever is later.
2. Any firm whose contract with any department of the Central or the State Govt. or any other Public Sector Undertaking has been terminated before the expiry of the contract period at any point of time during the last 5 years, will be ineligible.
3. The firm cannot sublet the work to any third party and if the same is noticed, the contract will automatically stand cancelled.

(Mahesh Yadav)
Estate Manager,
SEEPZ-SEZ Authority